भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/सुझाव/2015/ईईपीएस/4 | दिनांक : 25 जून, 2015

सेवा में

श्री ओ. पी. शाह, अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़
खेम चन्द चौधरी मार्ग,
पटना-800001

Date 15/7/2015
Diary No. 707

President
Secretary General
Addl. Secretary

विषय : बिहार विधान सभा के लिए आगामी साधारण निर्वाचन, 2015-निर्वाचन अवधि के दौरान नकदी आदि निर्मुक्त करने के लिए सुझाव-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, आपके दिनांक 26 मई, 2015 के पत्र सं. 329 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिहार विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचन-2015 के दौरान नकदी निर्मुक्त करने के बारे में कुछ उपायों का सुझाव दिया गया था, के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग उन व्यापारियों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है जो वास्तविक व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नकद राशि के साथ यात्रा करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से, आयोग ने स्थैतिक निगरानी दलों/उड़न दस्तों इत्यादि के द्वारा नकदी आदि की जब्ती से संबंधित दिनांक 29 मई, 2015 के अपने पत्र सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/वाल्यूम-।। के द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन किया है ताकि वास्तविक व्यवसायी व्यक्तियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

2. आयोग आशा करता है कि आपका संगठन निर्वाचनों में काले धन के हानिकारक प्रभावों के बारे में चिंताओं को समझेगा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन में सभी प्रकार से सहयोग देगा।

भवदीय,

(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

संलग्नकः यथोपरि।

प्रतिलिपि प्रेषित : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के पत्र की एक प्रति सहित इस अनुरोध के साथ कि आयोग के दिनांक 29 मई, 2015 के पत्र सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/वाल्यूम-।। के द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दिनांक : 29 मई, 2015

सं. 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2015/खण्ड–II

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : नकदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया–तत्संबंधी।

महोदय,

आयोग के दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के आदेश सं. 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2015/खण्ड–XIX के अधिक्रमण में, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों इत्यादि की तैनाती के लिए और नकदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़े जाने के बारे में संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी), आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए, मुझे इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। (इटेलिक्स में परिवर्तन)।

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे अनुपालन हेतु सभी निर्वाचन अधिकारियों आयकर विभाग, पुलिस विभाग तथा उत्पाद शुल्क विभाग के ध्यान में लाएं।

3. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(एस.के. रूडोला)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं. 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2015/खण्ड–II दिनांक : 29 मई, 2015

आदेश

यतः, संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में निहित है; और

यतः, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के हित में निर्वाचकों को डराने, धमकी देने, प्रभावित करने और घूस देने के सभी रूपों को अवश्य रोका जाना चाहिए और; ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों के प्रलोभन के लिए नकदी, उपहार वस्तुएं, मदिरा या मुफ्त भोजन का वितरण; अथवा धमकी या डराने–धमकाने के द्वारा निर्वाचकों को भयभीत करने के लिए धन शक्ति और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

यतः, निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहु बल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171ख और 172ग के अंतर्गत अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत भी भ्रष्ट आचरण है;

इसलिए, अब, निर्वाचनों की शुचिता बनाए रखने के प्रयोजनार्थ भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन–क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार खर्चों, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला–बारूद, मदिरा, या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए गठित उड़न दस्तों के लिए निम्नलिखित मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करता है:

उड़न दस्ता (एफ एस)

1. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र/खण्ड में तीन या अधिक उड़न दस्ते (एफ एस) होंगे। उड़न दस्ता निर्वाचन की घोषणा की तारीख से कार्य करना शुरू करेगा और मतदान समाप्त होने तक कार्य करता रहेगा।

2. उड़न दस्ता (क) आदर्श आचार–संहिता के उल्लंघनों और सम्बद्ध शिकायतों के सभी मामलों पर कार्रवाई करेगा; (ख) डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार एवं गोला–बारूद तथा निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने–ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा; और (ग) अभ्यर्थियों/राजनीतिक दल द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा; (घ) आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए

जाने के उपरांत, राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली प्रमुख रैलियों, सार्वजनिक बैठकों या अन्य बड़े खर्चों की, वीडियो निगरानी दल (बीएसटी) की सहायता से वीडियोग्राफी की जाएगी।

3. व्यय संवेदनशील निर्वाचन–क्षेत्रों (ईएससी), में जरूरत के आधार पर एक से अधिक उड़न दस्ते होंगे। इस अवधि के दौरान उड़न दस्ते को और कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। उड़न दस्ते के अध्यक्ष के तौर पर मजिस्ट्रेट और उड़न दस्ते के अन्य कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर, आरओ, डीईओ, सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराए जाएंगे। व्यय संवेदनशील निर्वाचन–क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल या राज्य सशस्त्र पुलिस को परिस्थिति के आधार पर उड़न दस्ते में शामिल किया जा सकता है और जि.नि.अ. इस संबंध में जरूरी कदम उठाएंगे। जि.नि.अ., उड़न दस्ते में साबित सत्यनिष्ठा के अधिकारियों को शामिल करेंगे।

4. जब कभी भी नकदी या शराब या रिश्वत की कोई अन्य वस्तु के वितरण के संबंध में या असामाजिक तत्वों या हथियारों और गोला–बारूद के लाने और ले जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है जो उड़न दस्ता मौके पर तत्काल पहुंचेगा। किसी भी अपराध होने की आशंका में, उडन दस्ते के प्रभारी पुलिस अधिकारी नकदी या घूस की मदों या ऐसी अन्य मदों को जब्त करेगा और जिन व्यक्तियों से मदें जब्त की गई हैं, उनके और गवाहों के बयान रिकार्ड करेगा और साक्ष्य जुटाएगा और जिस व्यक्ति से ऐसी मदें जब्त की हैं उसको जब्ती का समुचित पंचनामा, सी आर पी सी से प्रावधानों के अनुसार, जारी करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारिता वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर मामले को प्रस्तुत किया जाए। उड़न दस्ते का मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है और कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।

5. उड़न दस्ता के मजिस्ट्रेट रिश्वत या नकदी की जब्ती की वस्तुओं के संदर्भ में अनुलग्नक–क पर दिए गए फार्मेट के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेंगे और उसकी प्रति आर.ओ., एस.पी. और व्यय प्रेक्षकों को भेजेंगे तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के संदर्भ में अनुलग्नक–ख में दिए गए फार्मेट में आरओ, डीईओ, एस.पी. और सामान्य प्रेक्षक को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेंगे। पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालयों के नोडल अधिकारी को दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट भेजेंगे जो जिले की ऐसी सभी रिपोर्टों का संकलन करेंगे और उसी

फार्मेट (यानि अनुलग्नक–क एवं ख) में फैक्स/ई–मेल के द्वारा अगले दिन आयोग को एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे और उसकी एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।

6. सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। उडन दस्ते के प्रभारी अधिकारी द्वारा (i) रिश्वत लेने और देने वाले व्यक्तियों; (ii) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनसे विनिषिद्ध वस्तुएं जब्त की गई हैं या (iii) ऐसे अन्य असामाजिक तत्व, जो गैर–कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं; के विरूद्ध शिकायतें/एफआईआर तत्काल दाखिल भी करेंगे। शिकायत/एफआईआर की प्रति सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आर.ओ. के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जाएगी। यदि उसका किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से संबंध है तो व्यय प्रेक्षक उसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख करेंगे।

7. यदि नकदी, उपहार वस्तुएं, शराब या मुफ्त भोजन के वितरण के बारे में; या निर्वाचकों को धमकी देने/डराने के बारे में; या हथियारों/गोला–बारूद/असामाजिक तत्वों की आवाजाही के बारे में शिकायत प्राप्त हो और उड़न दस्ते का घटना–स्थल पर तत्काल पहुंच पाना संभव नहीं हो तो सूचना घटना–स्थल के सबसे नजदीक मौजूद राज्य निगरानी दल या उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को दी जाए जो शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए घटना–स्थल पर तत्काल एक टीम भेजेंगे। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा या तो उड़न दस्ते द्वारा अग्रेषित शिकायतों के प्राप्त होने पर की गई या स्वतंत्र रूप से की गई सभी जब्तियों की उड़न दस्ते को भी रिपोर्टिंग की जाएगी जो ऐसी रिपोर्टों की प्रविष्टियां अपनी दैनिक कार्यकलाप रिपोर्टों के संगत कतारों/स्तंभों में करेंगे और ऐसा जब्ती की सूचना या की गई कार्रवाई की रिपोर्टों के दोहराए जाने से बचने के लिए किया जाता है।

8. प्रत्येक उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में निम्नलिखित उद्घोषणा करेगाः "भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष

तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। सभी नागरिकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नंबर................................ पर सूचित करना चाहिए।"

9. आयोग के दिनांक 21.02.2015 के अनुदेश सं. 23/1/2015–ईआरएस के अनुसार, बूथ की निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन और प्रमाणीकरण हेतु बनाए गए बूथ स्तरीय जागरूकता समूह (बी ए जी) या तो आयोग द्वारा या अन्यथा विकसित किए गए मोबाइल सॉफ्टवेयर द्वारा अपने क्षेत्र में घटित होने वाले कदाचार के साक्ष्यों को एकत्रित करने में भी जुड़े हुए होंगे। जब कभी भी बूथ स्तरीय जागरूकता समूह द्वारा कोई सूचना दी जाती है तो उड़न दस्ते को न्यूनतम संभव समय में उस स्थान पर पहुंचना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिएं तथा संबंधित साक्ष्य जुटाने चाहिएं।

10. जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) उपर्युक्त उद्धृत करते हुए अंग्रेजी या हिंदी या स्थानीय भाषा में पेम्फलेट प्रकाशित करवाएंगे और उड़न दस्तों के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थानों पर वितरित करवाएंगे। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण उपायों पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी की जानी चाहिए।

11. निर्वाचनों की घोषणा के उपरांत, जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किए जा रहे अनुवीक्षण तंत्र के बारे में आम जनता के हितलाभ के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऊपर उल्लिखित पैरा 8 में अपील करेंगे।

12. उड़न दस्तों द्वारा प्रयुक्त सभी वाहनों में उड़न दस्तों द्वारा किए गए अंतर–अवरोधन (इन्टरसेप्शन) की रिकार्डिंग करने के लिए सीसीटीवी कैमरे/वेबकैम लगाए जाएंगे या उनमें वीडियो कैमरे होंगे (उपलब्धता एवं आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर)।

स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी):–

1. प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र/खण्ड में तीन या अधिक स्थैतिक निगरानी दल होंगे और प्रत्येक दल में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा तीन या चार पुलिस कर्मी होंगे जो चेक पोस्ट पर

कार्यरत होंगे। कुछेक निगरानी दलों में, क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर, केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बल शामिल होंगे। क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर, स्थैतिक निगरानी दलों में केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों के कर्मियों को शामिल किया जाएगा।

2. यह दल व्यय संवेदनशील बस्तियां/झोंपडियों पर चेक पोस्ट स्थापित करेगा और अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला–बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी नजर रखेगा। जांच किए जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। जांच की जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का वीडियो बनाया जाएगा या सीसीटीवी में रिकार्ड किया जाएगा।

3. एसएसटी का मजिस्ट्रेट उसी दिन अनुलग्नक–ग के अनुसार फार्मेट में जिला निर्वाचन अधिकारी को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेगा और उसकी प्रति आर.ओ., एस.पी. और व्यय प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक, एवं पुलिस प्रेक्षक को भेजेगा। एस.पी. दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी को भेजेगा। जो जिले की ऐसी सभी रिपोर्टों का संकलन करेंगे और उसी दिन फैक्स/ई–मेल के जरिए आयोग को उसी फार्मेट (यानि, अनुलग्नक–ग) में एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे और उसकी प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।

4. स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा जांच कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बगैर ऐसी कोई जांच नहीं होगी। दिनांक, स्थान एवं टीम संख्या की पहचान निशान के साथ वीडियो रिकार्ड/सीसीटीवी रिकार्ड अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाएगा, जो आयोग द्वारा बाद में उसका सत्यापन किए जाने के लिए उसे संरक्षित रखेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बात का भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए कि जनता का कोई भी सदस्य 300/–रु जमा करके वीडियो/सीसीटीवी रिकार्ड की प्रति हासिल कर सकता है।

5. जब कभी भी किसी एजेंसी द्वारा जिले/राज्य की सीमाओं पर या किसी अन्य स्थान पर किसी भी प्रयोजनार्थ चेक पोस्ट स्थापित किए जाते हैं, तो क्षेत्र में जांच के दोहराव से बचने के लिए ऐसी टीम में एसएसटी भी वहां मौजूद होगी और नकदी या मदों की जब्ती की रिपोर्टिंग, एसएसटी द्वारा की जाएगी।

6. प्रमुख सड़कों या मुख्यमार्गीय सड़कों पर एसएसटी द्वारा जांच किए जाने की शुरूआत आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषण की तारीख से होगी। स्थैतिक निगरानी दलों का नियंत्रण सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षकों के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा और यह तंत्र, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में या व्यय संवेदनशील पॉकेटों में मतदान से पहले अंतिम 72

घंटों में सुदृढ़ किया जाएगा और ऐसी अवधि के दौरान, एसएसटी को किसी भी परिस्थिति में विघटित नहीं किया जाएगा।

7. जांच के दौरान यदि, अभ्यर्थी, उसके एजेंट, या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50,000/-रु. से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा 10,000/- रु के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जाई जा रही हैं, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना हो या वाहन में कोई अन्य गैर-कानूनी वस्तुएं पाई जाती हैं तो वे जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी। जांच किए जाने और जब्ती के सम्पूर्ण घटनाक्रम को वीडियो/सीसीटीवी में दर्ज किया जाएगा जो रिटर्निंग ऑफिसर को प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाएगा।

8. यदि कोई स्टार प्रचारक अनन्य रूप से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 1 लाख रू. तक की नकदी ले जा रहा है, या कोई दलीय पदाधिकारी दल के कोषाध्यक्ष के उस प्रमाण-पत्र, जिसमें धनराशि और उसके अभिप्रेत उपयोग का उल्लेख किया गया हो, के साथ नकदी ले जा रहा हो तो स्थैतिक निगरानी दल में प्राधिकारीगण प्रमाण-पत्र की एक प्रति रख लेंगे और नकदी जब्त नहीं करेंगे। यदि वाहन में 10 लाख रूपये से अधिक की नकदी पाई जाती है और किसी अपराध से जुड़े होने या किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या दलीय पदाधिकारी की सहलग्नता का कोई संदेह नहीं होता है तो स्थैतिक निगरानी दल नकदी जब्त नहीं करेगा, और आयकर कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयकर प्राधिकारी को सूचना दे देगा।

9. जांच के दौरान यदि किसी अपराध होने की कोई आशंका है तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार एसएसटी के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा नकदी या अन्य मदों की जब्ती की जाएगी। एसएसटी के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर शिकायत/एफआईआर दर्ज की जाएगी।

10. उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी दल को सामान या वाहन की जांच करने के समय विनम्र, मर्यादित एवं शिष्ट होना होगा। महिला द्वारा धारित पर्स की तब तक जांच नहीं की जाएगी जब तक कि वहां पर कोई महिला अधिकारी न हो। उड़न दस्ता अपने क्षेत्रों में जांच के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यकलाप एवं उपयुक्त आचरण का पर्यवेक्षण भी करेगा।

11. उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी दलों को आयोग के निदेशानुसार एडवान्स प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि दलों का गठन किया जाए और उन्हें उपयुक्त तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। पुलिस मुख्यालयों के

नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस संबंध में पुलिस बल को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें संवेदनशील बनाया जाए।

12. उड़न दस्ता या स्थैतिक निगरानी दल के आचरण के बारे में किसी शिकायत के संबंध में, वह प्राधिकारी जिनसे व्यक्ति कदाचार या उत्पीड़न संबंधी शिकायत के निवारण के लिए अपील कर सकता है, वह उस जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी (व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी) होंगे।

13. जब्ती के बाद, जब्त की गई धनराशि न्यायालय द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से जमा की जाएगी और रू. 10 लाख से अधिक की नकदी की जब्ती की एक प्रति इस प्रयोजनार्थ परिनियोजित आयकर प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समय से परे और अवकाश दिनों में भी, यदि आवश्यक हो, जब्त नकदी प्राप्त करने के लिए कोषागार इकाईयों को आवश्यक अनुदेश देंगे।

14. जहां कहीं भी उड़न दस्ते या स्थैतिक निगरानी दल या पुलिस प्राधिकारियों को अपने क्षेत्र में किसी अन्य संदिग्ध वस्तुओं, जिनमें भारी मात्रा में नकदी ले जाना शामिल है, के बारे में सूचना मिलती है तो वे ऐसी वस्तुओं के बारे में संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियां को सूचित रखेंगे।

15 स्थैतिक निगरानी दलों और उड़न दस्तों द्वारा प्रयुक्त सभी वाहनों में जीपीआरएस समर्थित ट्रैकिंग यूनिट लगाए जाएंगे ताकि दलों द्वारा यथासमय कार्रवाई किए जाने की मॉनीटरिंग की जा सके।

16. <u>नकदी रिलीज करना</u>

(i) आम जनता तथा सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए तथा उनकी शिकायतों, यदि कोई हों, का भी निवारण करने के लिए, जिले के तीन अधिकारियों, यथा (i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद/सी डी ओ/पी.डी., डी आर डी ए (ii) जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी (संयोजक) तथा (iii) जिला कोषागार अधिकारी को मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी। समिति, पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़न दस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जांच करेगी तथा जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी/शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गई थी, को ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।

(ii) जब्ती दस्तावेज में जब्ती के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए और नकदी की जब्ती के समय ऐसे व्यक्तियों को इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए। समिति के संयोजक की दूरभाष संख्या सहित इस समिति की कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

(iii) व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख–रखाव किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा तथा इसमें अवरुद्ध / जब्त नकदी की राशि और संबंधित व्यक्ति(यों) को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होगा।

(iv) यदि रिलीज की गई नकदी 10(दस) लाख रु. से अधिक है, तो रिलीज किए जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

(v) उड़न दस्ते, एसएसटी या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई नकदी आदि की जब्ती के सभी मामले तत्काल जिले में गठित समिति के ध्यान में लाए जाएंगे और समिति ऊपर उल्लिखित पैरा (प) के अनुसार कार्रवाई करेगी। किसी भी परिस्थिति में, जब्त की गई नकदी / जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात 7 (सात) दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे जब तक कि कोई प्राथमिकी / शिकायत न दर्ज की गई हो। यह रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेशानुसार नकदी / बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करें।

17. यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग को दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट भेजने हेतु ई ई एम एस सॉफ्टवेयर, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इस्तेमाल किया जा सकता है।

आदेश से,

(एस.के. रूडोला)
सचिव